



कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची

(पंचायत शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना

इस कार्यालय के ज्ञापांक 11(i) दिनांक 12.03.2016 द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति से जिला योजना समिति हेतु सदस्यों के निर्वाचन के लिए राँची जिलान्तर्गत राँची नगर निगम, राँची एवं नगर पंचायत, बुण्डू, राँची के निर्वाचित सदस्यों की बैठक अपराह्न 02:00 बजे से समाहरणालय ब्लॉक-A के सभा कक्ष, द्वितीय तल्ल, कमरा सं०-207 में आहुत की गई थी। परन्तु राँची नगर निगम, राँची तथा नगर पंचायत, बुण्डू, राँची से यथोचित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन दिनांक 24.07.2013 को पीठासीन पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, राँची द्वारा किया जा चुका है अतः राँची नगर निगम, राँची तथा नगर पंचायत, बुण्डू, से जिला योजना समिति राँची हेतु सदस्यों के निर्वाचन के लिए आहुत दिनांक 28.03.2016 की उक्त बैठक एतद् द्वारा स्थगित की जाती है। जिला परिषद्, राँची से जिला योजना समिति हेतु सदस्यों के निर्वाचन की बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 28.03.2016 को आयोजित होगी।

उपरोक्त सभी निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना जिला राँची के Website पर Upload कर दिया गया है। इसे जिला-राँची के NIC Website "www.ranchi.nic.in" पर देखा जा सकता है।

ह०/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

-सह-

उपायुक्त, राँची।

ज्ञापांक 349(11) / ग्रा०पं० दिनांक 16/3/16

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम को NIC के Website पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- श्री राजेशवर नाथ आलोक, पीठासीन पदाधिकारी, राँची-सह- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राँची जिला अन्तर्गत सभी निर्वाचित जिला परिषद् सदस्य/नगर पंचायत, बुण्डू एवं नगर निगम, राँची के निर्वाचित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बुण्डू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)


-सह-


उपायुक्त, राँची।

37

खण्ड पंचायती राज नियमावली 2011 के नियम 6(1) के तहत जिला योजना समिति के गठन के निमित्त जिला परिषद, राँची के सदस्यों के निर्वाचन हेतु स्थान/तिथि एवं समय विवरणी :-

निर्वाचन कार्यक्रम	स्थान/तिथि एवं समय
बैठक हेतु सूचना निर्गत करने की तिथि	दिनांक 12.03.2016
बैठक की तिथि एवं स्थान	दिनांक 28.03.2016/स्थान समाहरणालय सभाकक्ष
नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु समयावधि	पूर्वाह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 10.30 बजे तक
नाम-निर्देशन पत्रों की संविक्षा हेतु समयावधि	पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने हेतु समयावधि	पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने हेतु समयावधि।	पूर्वाह्न 11.30 बजे से म० 12.00 बजे तक
मतपत्र की तैयारी हेतु समयावधि	म० 12.00 बजे से अप० 12.30 बजे तक
मतदान हेतु समयावधि	अप० 12.30 बजे से अप० 01.00 बजे तक
मतगणना हेतु समयावधि	अप० 01.00 बजे से अप० 01.30 बजे तक
निर्वाचन परिणाम की घोषणा समयावधि	अप० 01.30 बजे से अप० 02.00 बजे तक



जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
राँची।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-
जिला दण्डाधिकारी, राँची।

(36)

खण्ड पंचायती राज नियमावली 2011 के नियम 6(1) के तहत जिला योजना समिति के गठन के निमित्त राँची नगर निगम एवं नगर पंचायत, बुण्डू के सदस्यों के निर्वाचन हेतु स्थान/तिथि एवं समय विवरणी :-

निर्वाचन कार्यक्रम	स्थान/तिथि एवं समय
बैठक हेतु सूचना निर्गत करने की तिथि	दिनांक 12.03.2016
बैठक की तिथि एवं स्थान	दिनांक 28.03.2016/स्थान समाहरणालय सभाकक्ष
नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु समयावधि	अप० 02.00 बजे से अप० 02.30 बजे तक
नाम-निर्देशन पत्रों की संविधा हेतु समयावधि	अप० 02.30 बजे से अप० 03.00 बजे तक
अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने हेतु समयावधि	अप० 03.00 बजे से अप० 03.30 बजे तक
विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने हेतु समयावधि।	अप० 03.30 बजे से अप० 04.00 बजे तक
मतपत्र की तैयारी हेतु समयावधि	अप० 04.00 बजे से अप० 04.30 बजे तक
मतदान हेतु समयावधि	अप० 04.30 बजे से अप० 05.00 बजे तक
मतगणना हेतु समयावधि	अप० 05.00 बजे से अप० 05.30 बजे तक
निर्वाचन परिणाम की घोषणा समयावधि	अप० 05.30 बजे से अप० 06.00 बजे तक


जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
राँची।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-
जिला दण्डाधिकारी, राँची।